मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodhgaya

पत्रांक 126/अगा 13/19

दिनांक 19.8.19

सेवा में,

सचिव / प्रभारी प्रधानाचार्य,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

विषय- विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त वित्त सम्पोषित डिग्री महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश का अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ- विश्वविद्यालय पत्रांक 117/GIIIB/19 दिनांक 19/07/2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि कॉलेज के आन्तरिक श्रोत से कुल आय से 70% प्रतिशत राशि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि भुगतान के मद पर भुगतान किया जायेगा तथा शेष 30% प्रतिशत राशि कॉलेज के विकास कार्य में खर्च किया जायेगा। इस आशय की संदर्भ में राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में कई पत्र निर्गत किया जा चुका है।

आन्तरिक श्रोत से प्राप्त आय की राशि में 70% एव 30% प्रतिशत का अनुपालन जिन कॉलेजों में नहीं किया जायेगा तो भविष्य में अनुदान एवं अन्य सुविधा से कॉलेज वंचित हो सकता है। अनुपालन प्रतिवेदन पत्र निर्गत की तिथि से एक पखवारा के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में पत्र उपलब्ध करायें।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

ज्ञापांक 126/अगा 13/19

दिनांक 19.8.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. अवर सचिव, विधान परिषद, पटना।

17/8/19

19.8.19

महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

D:\Amod\Office\2019\Manoj Ji\August\Secretary-Prof. Incharge, M.U. & P.P.U - 3.docx

Scanned by CamScanner

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodhgaya

पत्रांक 127/ [illegible] 13/19 दिनांक 19.8.19

सेवा में,

सचिव / प्रभारी प्रधानाचार्य,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

विषय- वित्त सम्पोषित डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान राशि की विमुक्त की गई है परन्तु कॉलेजों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन कॉलेजों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय को आवश्य उपलब्ध करा दें।

ऊपर वर्णित तथ्यों को गम्भीरता से राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय जांच कर रही है जांच के क्रम में पाया गया है कि अनुदान राशि विमुक्ति के साथ स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि एक माह के अंदर उपयोगिता प्रस्तुत करें। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि विमुक्त अनुदान राशि को अगर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को भुगतान नहीं किया गया है उस स्थिति में विमुक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में पत्र निर्गत की तिथि से एक पखवारा के अंदर लौटा कर दी जाय, अन्यथा कानूनी/वितीय गवन की कारवाई की जायेगी।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

[signature] 17.8.19

[signature] 17/8/19

महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

D:\Amod\Office\2019\Manoj Ji\August\Secretary-Prof. Incharge, M.U. & P.P.U - 2.docx

Scanned by CamScanner

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodhgaya

पत्रांक 129/Suo.B/19 दिनांक 19/8/19

सेवा में,

सचिव / प्रभारी प्रधानाचार्य,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

विषय- वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति के उपरांत राज्य के सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही वैसे महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2009-12 से 2014-17 तक अनुदान राशि प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ- विश्वविद्यालय पत्रांक 99/GIIIB/19 दिनांक 18/06/2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में स्मारित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2009-12 से 2014-17 तक अनुदान राशि प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन की मांग की गई थी। वैसे महाविद्यालयों को पुनः निदेर्शित किया जाता है कि विहित प्रपत्र में अगर आवेदन पत्र निर्गत की तिथि से एक पखवारा के अंदर विश्वविक्यालय को उपलब्ध नहीं करायेगे तो अनुदान राशि से वंचित हो जायेगे और इसका पूर्ण जिम्मेवार कॉलेज होगी।

अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवेदन पत्र पर सभी कॉलेज पदाधिकारियों के हस्ताक्षर एवं शपथ पत्र तथा विहित प्रपत्र के अनुसार अभिलेख संलग्न नहीं रहेगा तो वैसे स्थिति में भी अनुदान राशि से वंचित हो सकते है।

विश्वासभाजन

17.8.19

महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

D:\Amod\Office\2019\Manoj Ji\August\Secretary-Prof. Incharge, M.U. & P.P.U - 1.docx

Scanned by CamScanner